IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

भारत में शिक्षा गुणवत्ताकि दिशा में चुनौतियाँ और समाधान " एक अध्ययन"

Mrs. Seema Dwivedi
Asst. Professor and Research Scholar, Department of Education
AKS University, Satna, Madhya Pradesh, India
proff.aslam@gmail.com

सामान्य सारांश:

मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

देश में जब **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के द्वारा राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई ज़िम्मेदारियों को बाँटने की आवश्यकता महसूस की गई। जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भार भी स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखना एवं देश की शैक्षिक ज़रूरतों का आकलन एवं रखरखाव शामिल है।

1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें।

भारत का शैक्षिक इतिहास [परिचय]:भारतीय शिक्षा प्रणाली लंबे समय से दुर्गमता और निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा का सामना कर रही है, जिससे भारतीय बेरोजगार हो गए हैं। नतीजतन, भारत के मानव संसाधन अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक शिक्षा है।

भारत में ज्ञान देने की एक लंबी परंपरा रही है। गुरुकुल प्राचीन भारत में एक प्रकार का शिक्षण संस्थान था जिसमें शिष्य (छात्र) उसी निवास में रहते थे जहाँ गुरु रहते थे।विश्व की सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली नालंदा थी। दुनिया भर के छात्र भारत की ज्ञान प्रणालियों की ओर आकर्षित हुए।ज्ञान प्रणाली की कई शाखाओं की उत्पत्ति भारत में हुई। प्राचीन भारत में शिक्षा को एक उच्च गुण माना जाता थाउस समय यूरोप में जो पुनर्जागरण और वैज्ञानिक चिंतन हुआ, वह भारत में नहीं हुआ।

अंग्रेजों ने उस समय तक भारतीय मामलों पर नियंत्रण कर लिया था और विभिन्न एजेंडा स्थापित कर चुके थे। शिक्षा के मामले में ब्रिटिश भारत को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित की जो आज भी भारत में उपयोग की जाती है।उन्होंने देश की पूर्व शिक्षा प्रणालियों को बदलने के लिए अंग्रेजी-आधारित पद्धतियों का इस्तेमाल किया।

स्वतंत्रता के बाद से भारत की शैक्षिक प्रणाली की संरचना

भारत में शिक्षा के तीन चरण हैं:

1.बेसिकशिक्षा

2. सेकेंडरीशिक्षा

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

3. उच्च शिक्षा

1. बेसिक शिक्षा - संविधान निर्माताओं ने संविधान ने छह मौलिक अधिकार दिए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, मौलिक अधिकारों में एक शिक्षा का अधिकार और जोड़ा गया था। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की अनुमति दी।यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A (Article 21A) द्वारा गारंटीकृत है।सर्वशिक्षा अभियान सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

2. सेकेंडरी शिक्षा - माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की आयु 14 से 18 वर्ष के बीच होती है।सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान को माध्यमिक शिक्षा तक विस्तारित किया है।

3. उच्च शिक्षा- भारत में उच्च शिक्षा के तीन चरण स्नातक, परास्नातक और स्नातकोत्तर (एमफिल/पीएचडी) हैं।राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) एक सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधान-

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 (Article 45) में कहा गया है कि सरकार को संविधान की स्थापना के 10 वर्षों के भीतर चौदह वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।किन्तु इसके साकार नहीं होने पर 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21-A को अधिनियमित किया।एक मार्गदर्शक सिद्धांत होने के बजाय, इसने बुनियादी शिक्षा के मौलिक अधिकार का दर्जा दियागया

2. अनुच्छेद 45 में अब छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा शामिल है।मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित मापदंड स्थापित करता है:अनुच्छेद 21-A को लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

पारित किया।इस अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान (SSA) को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी समर्थन प्रदान किया।सामाजिक सुरक्षा प्रशासन एक संघीय कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा के समयबद्ध सार्वभौमिकरण का आश्वासन देता है।

भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली:

भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:(a)पूर्व-प्राथमिक (b) प्राथमिक (c) माध्यमिक (d) उच्च शिक्षा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती है।भारत में उच्च शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर शामिल हैं।राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करता है।नई शुरू की गई नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना में कई बदलाव देखे गए।

पाँच वर्ष का मूलभूत चरण (3 से 8 वर्ष की आयु तक)

प्रारंभिक चरण के तीन वर्ष (8 से 11 वर्ष या कक्षा 3 से 5 तक)

मध्य चरण के तीन वर्ष (11 से 14 वर्ष या कक्षा 6 से 8 तक)

माध्यमिक चरण के चार वर्ष (14 से 18 वर्ष की आयु या कक्षा 9 से 12 के लिए)

भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्व

1. आर्थिक: भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 50 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। यदि भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने और अपने युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने में कामयाब होता है, तो यह चीन, जापान और जर्मनी जैसे तेजी से बूढ़े हो रहे देशों पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर सकता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

2. सामाजिक: शिक्षा समावेशी विकास को सक्षम बनाती है जिसमें समाज के निचले वर्गों के उत्थान की क्षमता होती है। यह आबादी के बीच आधुनिक आदर्शों को फैलाने में मदद करता है और इसका लक्ष्य देश के विकास के लिए पुरानी प्रथाओं को समाप्त करना है।

3. प्रशासनिक पहलू: प्राप्त आबादी के लिए डिजिटल योजनाओं और नीतियों के कारण प्रशासन में तकनीकी रूप से कुशल कार्यबल की मांग बढ़ रही है।

4. पर्यावरण: शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन लाती है और जलवायु परिवर्तन के इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील युग में लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती है।

5. नैतिकता और मूल्य: शिक्षा लोगों को अपने मूल्यों के प्रति अधिक कर्तव्यनिष्ठ, नैतिक और अनुशासित बनाती है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होता है।

भारत में शैक्षिक प्रणाली के लिए चुनौतियाँ

भारतीय परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक बड़ी बाधा है। उचित बुनियादी ढांचे की कमी और शिक्षा के प्रति समाज के कई वर्गों में कम उत्साह के कारण भारत में शिक्षा के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। शिक्षा प्रणाली में कुछ चुनौतियाँ हैं जिनके कारण भारत इष्टतम विकास को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

1. शिक्षक-छात्र अनुपात: हाल ही में जारी यूनेस्को की भारत के लिए शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, स्कूलों में लगभग 11 लाख शिक्षण पद खाली हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से शिक्षकों की कमी है, जिसका असर छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा पर पड़ रहा है।

2. गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्य: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) द्वारा किए गए शोध के अनुसार, शिक्षक अपना लगभग 20% समय कक्षाओं में पढ़ाने के लिए समर्पित करते हैं, जबकि उनका शेष समय गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत होता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

3. शिक्षा पर खर्च: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है कि भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6% शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत ने 2019-20 में शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.1% ही खर्च किया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार इस सीमित फंडिंग को और भी अधिक नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न तरीकों से शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज में बाधा डालता है।

4. बुनियादी ढांचे की कमी: खराब स्वच्छता, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, बिजली, खेल के मैदान आदि की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रमुख खामियों में से एक है।

5. महँगी शिक्षा: भारत में विशिष्ट संस्थान और कॉलेज बहुत महँगे हैं, जहाँ कुछ पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा भारत के सामान्य व्यक्ति की पहुँच से भी बाहर है।

6. उच्च ड्रॉपआउट दर: प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर बहुत अधिक है। इसके कारण गरीबी, स्कूल की लंबी दूरी, शौचालयों की कमी, बाल विवाह, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सांस्कृतिक कारक हैं।

7. क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा: जो छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि, सरकारी स्कूलों से हैं, और जो अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और अवधारणाओं को समझने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

8. व्यावहारिक ज्ञान का अभाव: शिक्षा का पुराना पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सिद्धांतों और अवधारणाओं को रटने पर केंद्रित था जबकि व्यावहारिक क्षेत्र पर कम जोर दिया जाता था।

9. प्रतिभा पलायन मुद्दा: मेधावी छात्रों का दूसरे देशों में प्रवास एक ऐसा मुद्दा है जहां छात्रों को अगर देश में अवसर और योग्य पद नहीं मिलते हैं, तो वे रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में चले जाते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

एनईपी, 2020 के प्रमुख प्रावधान

1. विद्यालयी शिक्षा संबंधी प्रावधान

पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) के माध्यम से 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करनास्कूल से बाहर के बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग व्यवस्था लागू करना। अर्थात इसके लिए एनआईओएस जैसी कोई प्रवेश आवश्यकता नहीं होगी।

a. मौजूदा 10+2 प्रणाली की जगह 5+3+3+4 पाठ्यक्रम प्रणाली की आवश्यकता।

b.कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन करना न की किसी अन्य भाषा को थोपना।

2. उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधान

एक लचीले पाठ्यक्रम के प्रावधानों के साथ व्यापक, बहु-अनुशासनात्मक, समग्र यूजी (स्नातक) शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, संबंधित डिग्री के साथ कई प्रविष्टियां और निकास बिंदु और क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

a. संस्थानों के बीच क्रेडिट के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए क्रेडिट का अकादमिक बैंक की स्थापना करना।

b. कानूनी और चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी शिक्षाओं के लिए भारत का उच्च शिक्षा आयोग (HECI) को नियामक के रूप में स्थापित करना।

c. स्कूलों और कॉलेजों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना।

3. प्रारंभिक वर्षों के महत्व को पहचानना

यह नीति 3 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिए 5+3+3+4 दृष्टिकोण अपनाती है ताकि बच्चे के भाग्य को प्रभावित करने में 3 से 8 साल की उम्र के प्रारंभिक वर्षों की प्रधानता को पहचाना जा सके।

4. साइलो मानसिकता से मुक्त होना

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

a. नई नीति का एक अन्य प्रमुख पहलू हाई स्कूल कला, वाणिज्य और विज्ञान कार्यक्रमों के बीच सख्त विभाजन का उन्मूलन है।

b. यह उच्च शिक्षा के लिए और अधिक बहुविषयक बनने का मार्ग खोल सकता है।

5. शिक्षा और कौशल का एकीकरण

a.व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ना जिसमें इंटर्नशिप शामिल है, कार्यक्रम की एक और उत्कृष्ट विशेषता है। यह निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल में नामांकित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

b. यह स्किल इंडिया मिशन के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा।

शिक्षा गुणवत्ता कि दिशा में समाधान

शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। देश के शिक्षासंबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्तर भी अपेक्षा से नीचे है। इसके लिये सीधे शिक्षकों को दोषी ठहरा दिया जाता है और इस वास्तविकता से आँखें मूँद ली जाती हैं कि विद्यालयों/महाविद्यालयों का बुनियादी ढाँचा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहद कमज़ोर है।

1. देश में एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी यदि देश में शिक्षा की यह दशा और दिशा है तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक होगा। इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता-पिता, सामुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। यही समय है जब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के इस मुद्दे पर एक टीम इंडिया का गठन किया जाना चाहिये।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 6, March 2024

2. स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की ज़रूरत है। अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय की जाती हैं, जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है।

3. शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण का दायित्व कर्त्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिये। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित परीक्षण/मूल्यांकन की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिये।

सन्दर्भ सूची :

[1]. Pandey R.S.: Shiksha Darshan.
[2]. Agarniai, J.C.: Principles & Methods of Teaching.
[3]. Kochhar, S.K.: Methods & Techniques of teaching.
[4]. Ravi Kapoor,भारत में शिक्षा प्रणाली Internet content
[5]. Other education related sites